न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 377/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बुधाराम पुत्र मूलाराम 2– मगाराम पुत्र मूलाराम 3– शिवलाल पुत्र मूलाराम 4– भींयाराम पुत्र मूलाराम 5– मोहनलाल पुत्र मालाराम 6– आसुलाल पुत्र मालाराम 7– द्वारका पुत्र परमा सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम डेडिसरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– चन्द्राराम पुत्र नारायणराम 2– भंवरलाल पुत्र नारायणराम सभी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम डेडिसरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 3/2016 अनवान चन्द्राराम वगैरा बनाम तहसीलदार फलोदी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प लोर्डिया मे इस आशय का एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम डेडिसरा तहसील फलोदी के खसरा नंबर 172 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि मूला, नारायण, मालीया, परमा पिता छोगा के नाम दर्ज थी जिसमे उनके पिता नारायण का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी मे स्थित था तथा सह खातेदार नारायण को लाओलाद फोत बताते हुए नामांतरकरण संख्या 91 भरा गया जिसमे से उसके पिता का नाम हटा दिया गया जबकि हम उनके वारिस जीवित है । अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही तहसीलदार फलोदी से रिपोर्ट चाही गई तथा दिनांक 20–5–2016 को ही अपीलांट को बिना कोई नोटिस एवं पक्षकार बनाये केवल तहसीलदार फलोदी को पक्षकार बनाते हुए तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट प्राप्त कर लेना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 91 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे रेकर्डेड खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार नारायण जो कि वास्तव मे नाओलाद फोत होने पर उसके भाईयो के नाम नामांतरकरण संख्या 91 के जरिये विधिवत दर्ज हुआ था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने मृतक नारायण के पुत्र होना बताते हुए उक्त नामांतरकरण संख्या 91 को चेलेंज किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच करवाये तथा रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाकर सुने बिना ही अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्व लोक अदालत मे पक्षकारो की आपसी समझाईश से ही मामलो का निस्तारण किया जा सकता है परंतु जब प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना हो तो रेकर्डेड खातेदारो को सुनवाई का अवसर देना कानूनन आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजर अदांज करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपील सुमार कर स्वीकार कर नामांतरकरण को निरस्त करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 की अपील जाहिरा मयाद बाहर थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था तो स्वयं अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वे पहले मयाद के बिन्दु पर मामले को निर्णित करते फिर गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित करते परंतु प्रकरण मे बिना धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है, जो निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन किसी के नाम नही भरा है बल्कि सहखातेदार नारायण को लाओलाद बताते हुए उसका नाम हटा दिया गया था जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मृतक नारायण राम के वारिसान की जांच हेतु तहसीलदार फलोदी को रिमाण्ड किया है, इसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश लोक अदालत केम्प मे पारित किया गया था जिसकी अपील यहां नही हो सकती है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे नया आदेश पारित हो गया है तथा राजस्व रेकर्ड मे हमारा नाम दर्ज हो चुका है इसलिए अपील निष्प्रभावी हो चुकी है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात व पारित अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन

म्युटेशन संख्या 91 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन वर्ष 1976 मे स्वीकृत हुआ था तथा तब से अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा था । उक्त म्युटेशन से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रभावित हो रहे थे तो उन्हे उक्त म्युटेशन के विरूद्ध विधिवत अपील पेश करनी चाहिये थी परंतु ऐसा नही कर राजस्व लोक अदालत केम्प लोर्डिया मे एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे विलंब के कारण के कारण का कोई उल्लेख नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अपील मे सुमार करते हुए केवल तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार की टिप्पणी इसप्रकार की हुई है "प्रकरण मे विरासत के नामांतरकरण को लेकर है, जो न्यायालय मे अपील/वाद दर्ज करवाकर निर्णित करवा सकते है। इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है" फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्डेड खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये वर्ष 1976 से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम के प्रविष्टि को प्रार्थना पत्र के जरिये परिवर्तित करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 27–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

|